



पत्रांक 1844/4-20 20

दिनांक 6/09/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट।

विषय:— जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन करने विषयक अनुपालन आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या एफ०पी०/यू०के०/रोड/9662/2015

सन्दर्भ:— अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 75/X-4-16/1 (14)/2016 वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादून दिनांक 29 फरवरी 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित है।

1. वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित भूमि के बदले 6.083 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षमिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के द्वारा पत्रांक 2270/12-1 दिनांक 18.3.2016 मांगी गयी धनराशि (डिमाण नोट) रू० 1473510.00 यू०टी०आर० नम्बर U000000066690360 दिनांक 10.05.2016 खाते में जमा करा दी गयी है तथा उक्त भूमि को जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 4095/ग्यारह-27 (2016-17 दिनांक 7.6.2016 द्वारा दी गयी स्वीकृति के पश्चात वन विभाग के पक्ष में दाखिला खारिज कर दिया गया है। (संलग्न 1, 2 व 3)
2. प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट द्वारा मांगी गयी डिमाण्ड नोट की धनराशि रू० 1632982.00 यू०टी०आर० नम्बर U000000066690360 द्वारा दिनांक 10.05.2016 द्वारा खाते में करा दी गयी है।
3. माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 दिनांक 5.2.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि डिमाण्ड नोट के अनुसार रू० 2570068.00 यू०टी०आर० नम्बर U000000066690360 दिनांक 10.05.2016 द्वारा खाते में जमा करा दी गयी है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि का भुगतान लो0नि0वि0 बड़कोट द्वारा जमा की जायेगी।
5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या म्यूटेशन आख्या की कार्यवाही तथा समस्त देयको के भुगतान का चालान आदि आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
6. शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार के उपक्रम) ब्लाक-।। भूतल सी0जी0 ओ0 काम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नाई दिल्ली 110003 के शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रति पूति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय खाते में यू0टी0आर0 नम्बर U000000066690360 दिनांक 10.05.2016 द्वारा जमा करा दी गयी है। संलग्न यू0टी0आर0
7. प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तवित निर्माण कार्यों के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण-पत्र की छाया प्रति पुनः संलग्न की जा रही है। प्रस्ताव की डार्ड कापी में उक्त प्रमाण-पत्र पूर्व में ही संलग्न है। संलग्न प्रमाण-पत्र।

प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नक आपको तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। अनुरोध कि उक्त अनुपालन आख्या अपनी संस्तुति सहित प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को भेजने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:- यथोपरि

(ई0वी0ओ0 भट्ट)
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट ने अपने पत्र संख्या 521/4 भू0अ0 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 है0 भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.083 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण/नामान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/ क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2011-12 दिनांक 11 मई, 2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कोटला की वर्तमान नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली बर्ष 1420 से 1425 के खाता संख्या-24 के खसरा संख्या 23/2.758 है., 88/0.314 है0, 91/0.025 है0, 112/1.003 है0, 213/0.252 है0, 236म0/0.417 है0, एवं 271/1.314 है0 कुल रक्वा 6.083 है0 सिविल सोयम भूमि उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. की भूमि प्रस्तावित की गयी है । प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शामशान घाट, पनघट आदि मुख्य स्थल नहीं है और उक्त भूमि को किसी अन्य प्रयोजन हेतु कृषि आवंटन नहीं है । प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी, इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट से प्राप्ति आख्यानुसार ग्राम कोटला पट्टी बनावल तहसील बड़कोट में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. खाता संख्या 24 खसरा संख्या 23 रक्वा 2.758 है0, 88 रक्वा 0.314 है0, 91 रक्वा 0.025 है0, 112 रक्वा 1.003 है0, 213 रक्वा 0.252 है0, 236 म. रक्वा 0.417 है0 एवं खसरा सं0 271 रक्वा 1.314 है0 कुल रक्वा 6.083 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है । उक्त प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, के पक्ष में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या के अनुसार हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है ।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

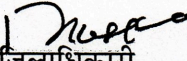
कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या ५०९५ ग्यारह-१७ (2016-17)

दिनांक 7 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/तहसीलदार बड़कोट ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०लो०नि०वि० विभाग बड़कोट।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

24	3741945	711011
----	---------	--------

321/2905 21/01/11
21/9 (3) 30%

1 0656

75016 and peeru 3th class / 25 8121 904095 / 25

✓ 23 2.758 ✓

NON ZA 29/11/2024 37212905 2R 911

	X
	X

96338 244976 23/2.758, 88/0.314 91/0.025,

X	X
---	---

112/1.003, 213/0.252, 23679/0.417, 209, 209, 209

✓ 88	0.314
------	-------

27/11-314 6083 Frid X (C)

✓ 91 0025

1984 2025 1984 2025 1984 2025

✓ 1/12 1.003

[illegible]

X	X
---	---

1291 34156204/8 129552

X

[illegible]

✓ 213	0.252
-------	-------

[illegible]

✓ 236 0627

1576/1577
1578/1579
1579/1580
1580/1581
1581/1582
1582/1583
1583/1584
1584/1585
1585/1586
1586/1587
1587/1588
1588/1589
1589/1590
1590/1591
1591/1592
1592/1593
1593/1594
1594/1595
1595/1596
1596/1597
1597/1598
1598/1599
1599/1600
1600/1601
1601/1602
1602/1603
1603/1604
1604/1605
1605/1606
1606/1607
1607/1608
1608/1609
1609/1610
1610/1611
1611/1612
1612/1613
1613/1614
1614/1615
1615/1616
1616/1617
1617/1618
1618/1619
1619/1620
1620/1621
1621/1622
1622/1623
1623/1624
1624/1625
1625/1626
1626/1627
1627/1628
1628/1629
1629/1630
1630/1631
1631/1632
1632/1633
1633/1634
1634/1635
1635/1636
1636/1637
1637/1638
1638/1639
1639/1640
1640/1641
1641/1642
1642/1643
1643/1644
1644/1645
1645/1646
1646/1647
1647/1648
1648/1649
1649/1650
1650/1651
1651/1652
1652/1653
1653/1654
1654/1655
1655/1656
1656/1657
1657/1658
1658/1659
1659/1660
1660/1661
1661/1662
1662/1663
1663/1664
1664/1665
1665/1666
1666/1667
1667/1668
1668/1669
1669/1670
1670/1671
1671/1672
1672/1673
1673/1674
1674/1675
1675/1676
1676/1677
1677/1678
1678/1679
1679/1680
1680/1681
1681/1682
1682/1683
1683/1684
1684/1685
1685/1686
1686/1687
1687/1688
1688/1689
1689/1690
1690/1691
1691/1692
1692/1693
1693/1694
1694/1695
1695/1696
1696/1697
1697/1698
1698/1699
1699/1700
1700/1701
1701/1702
1702/1703
1703/1704
1704/1705
1705/1706
1706/1707
1707/1708
1708/1709
1709/1710
1710/1711
1711/1712
1712/1713
1713/1714
1714/1715
1715/1716
1716/1717
1717/1718
1718/1719
1719/1720
1720/1721
1721/1722
1722/1723
1723/1724
1724/1725
1725/1726
1726/1727
1727/1728
1728/1729
1729/1730
1730/1731
1731/1732
1732/1733
1733/1734
1734/1735
1735/1736
1736/1737
1737/1738
1738/1739
1739/1740
1740/1741
1741/1742
1742/1743
1743/1744
1744/1745
1745/1746
1746/1747
1747/1748
1748/1749
1749/1750
1750/1751
1751/1752
1752/1753
1753/1754
1754/1755
1755/1756
1756/1757
1757/1758
1758/1759
1759/1760
1760/1761
1761/1762
1762/1763
1763/1764
1764/1765
1765/1766
1766/1767
1767/1768
1768/1769
1769/1770
1770/1771
1771/1772
1772/1773
1773/1774
1774/1775
1775/1776
1776/1777
1777/1778
1778/1779
1779/1780
1780/1781
1781/1782
1782/1783
1783/1784
1784/1785
1785/1786
1786/1787
1787/1788
1788/1789
1789/1790
1790/1791
1791/1792
1792/1793
1793/1794
1794/1795
1795/1796
1796/1797
1797/1798
1798/1799
1799/1800
1800/1801
1801/1802
1802/1803
1803/1804
1804/1805
1805/1806
1806/1807
1807/1808
1808/1809
1809/1810
1810/1811
1811/1812
1812/1813
1813/1814
1814/1815
1815/1816
1816/1817
1817/1818
1818/1819
1819/1820
1820/1821
1821/1822
1822/1823
1823/1824
1824/1825
1825/1826
1826/1827
1827/1828
1828/1829
1829/1830
1830/1831
1831/1832
1832/1833
1833/1834
1834/1835
1835/1836
1836/1837
1837/1838
1838/1839
1839/1840
1840/1841
1841/1842
1842/1843
1843/1844
1844/1845
1845/1846
1846/1847
1847/1848
1848/1849
1849/1850
1850/1851
1851/1852
1852/1853
1853/1854
1854/1855
1855/1856
1856/1857
1857/1858
1858/1859
1859/1860
1860/1861
1861/1862
1862/1863
1863/1864
1864/1865
1865/1866
1866/1867
1867/1868
1868/1869
1869/1870
1870/1871
1871/1872
1872/1873
1873/1874
1874/1875
1875/1876
1876/1877
1877/1878
1878/1879
1879/1880
1880/1881
1881/1882
1882/1883
1883/1884
1884/1885
1885/1886
1886/1887
1887/1888
1888/1889
1889/1890
1890/1891
1891/1892
1892/1893
1893/1894
1894/1895
1895/1896
1896/1897
1897/1898
1898/1899
1899/1900
1900/1901
1901/1902
1902/1903
1903/1904
1904/1905
1905/1906
1906/1907
1907/1908
1908/1909
1909/1910
1910/1911
1911/1912
1912/1913
1913/1914
1914/1915
1915/1916
1916/1917
1917/1918
1918/1919
1919/1920
1920/1921
1921/1922
1922/1923
1923/1924
1924/1925
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937
1937/1938
1938/1939
1939/1940
1940/1941
1941/1942
1942/1943
1943/1944
1944/1945
1945/1946
1946/1947
1947/1948
1948/1949
19

2	X
2	X

3/2

10/11	10/11
10/11	10/11

Handwritten notes on a grid background, including a large 'C' and some illegible scribbles.

273	1013
211	1.319

[illegible]

X	X
X	X

[illegible]

X	
X	

[illegible]

27670004

[illegible]

2770 8.224

291st कां. पो. - 412 81.672

20/12/2024

45

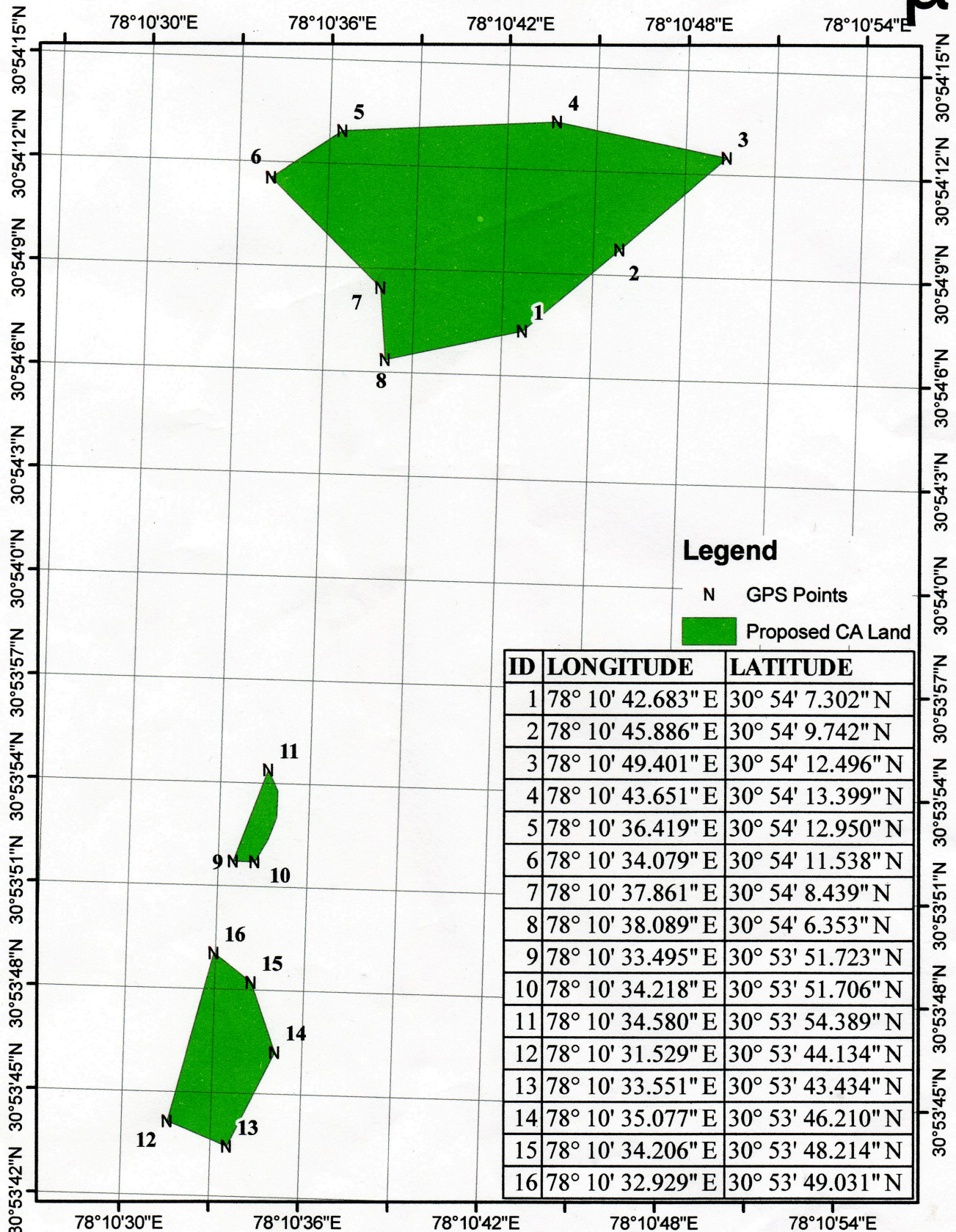
पी०एस०यू० (आर०ई०) ०३ राजास परिषद् / ६८-१४-६-२०१० (प-११) १,००,००० फार्म (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

2
 १०० रु०
 ३०/०५/२०१५
 ३०/०५/२०१५
 ३०/०५/२०१५

**GEOREFERENCE MAP OF PROPOSED CA LAND KOTLA CIVIL SOYAM (Area - 6.083 ha)
FOR KUD TO KOTLA MOTOR ROAD (6 Km.) RAWAIN RANGE, UPPER YAMUNA BARKOT**

0 35 70 140 210
M

Scale - 1:4,500



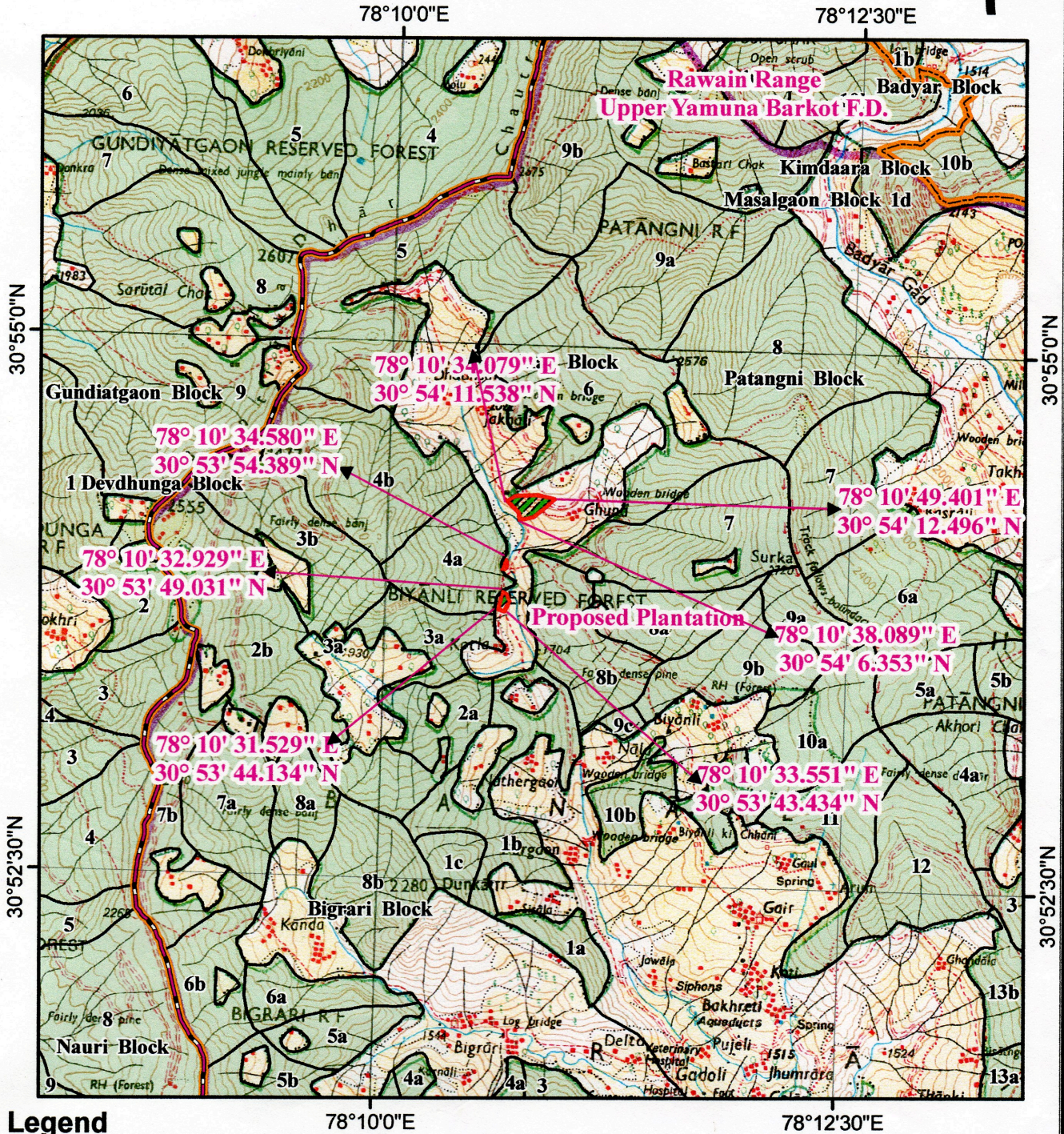
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट (उत्तरकाशी)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट (उत्तरकाशी)

**DIGITAL MAP OF PROPOSED CA LAND KOTLA CIVIL SOYAM (Area - 6.083 ha)
FOR KUD TO KOTLA MOTOR ROAD (6 Km.) RAWAIN RANGE, UPPER YAMUNA BARKOT**

0 0.5 1Km
Scale - 1:50,000

μ



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बदकोट (उत्तरकाशी)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बदकोट (उत्तरकाशी)

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 29 फरवरी, 2016

विषय: जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुद-कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2052/1जी-FP/UK/ROAD/9662/2015, दिनांक 15 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुद-कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी०, दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं आपदाग्रस्त जनपदों हेतु 5.00 है० तक वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.083 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या, म्यटेशन की कार्यवाही तथा समस्त देयकों के भुगतान का चालान आदि ऑन-लाईन अपलोड किया जायेगा।

श्री गैरीलाजी
भा.क.क.क.

3-3-2016

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0 ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

अपर सचिव।

संख्या: 75 (1)/X-4-16/1(14)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बढकोट।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बढकोट।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)

संयुक्त सचिव।



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@Gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 355/12-1, दिनांक, बड़कोट, अगस्त, 08, 2016।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्राक- 3191/1जी0-2366 दिनांक- 26.04.2016।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग निर्माण हेतु लो0नि0वि0, बड़कोट को 3.0415 है0 हस्तान्तरण की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के ऐवज में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने सिविल सोयम भूमि 6.083 है0 वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित व नामान्तरित किया गया है। जिसका कब्जा प्रमाण पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है-

कब्जा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश सं0-4095/ग्यारह-27(2016-17) दिनांक- 07.06.2016 से तहसील बड़कोट के अन्तर्गत ग्राम- कोटला, पट्टी- बनाल में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग-9(3) ड. खाता संख्या-24, खसरा संख्या-23 रक्वा- 2.758 है0, 88 रक्वा- 0.314 है0, 91 रक्वा- 0.025 है0, 112 रक्वा- 1.003 है0, 213 रक्वा- 0.252 है0, 236म. रक्वा- 0.417 है0 एवं खसरा संख्या- 271 रक्वा- 1.314 है0 कुल रक्वा- 6.083 है0 की भूमि दिनांक- 19.07.2016 को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा याचक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को साथ में रखकर मौके पर वन विभाग के पक्ष में कब्जा प्राप्त किया गया है। जिसके नक्सा, खसरा एवं मौके पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्राधिकारी, रंवाई राजि को उनके पत्राक- 99/12-1 दिनांक- 23.07.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

Name of Project- Kurh to Kotla Motor Road.

No.....24.....

Dated..27-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.0415 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Barkot** for Construction of **Kurh to Kotla Motor Road** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Kotla village in Barkot tehsils**.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.0415 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

P.c. A.H. Sarda

(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट (उत्तरकाशी)

ANNEXURE

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 3.0415 hect for the construction of Kurh to Kotla Motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated: 27.12.14

(C. Ravishankar)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi

P.c. A.H.

सहायक/अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)